अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 345 / 2013

अम्बिया खातुन –– अपीलार्थी

वनाम

मो० शमीम –– रेस्पाण्डेन्ट

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 03.06.2013 ई० अंदर वाद संख्या– 537 / 2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद में संक्षेप में मामला यह है कि अपीलार्थी के द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा 4 अन्तर्गत भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा के न्यायालय में मौजाः बिसनपुर सुंदर, पोस्ट+अंचलः कुमारखंड, जिलाः मधेपुरा अंतर्गत खाता पुरानाः 73, खाता नयाः 182, खेसरा पुरानाः 2241, खेसरा नयाः 7596, रकवाः 13 डी (दक्षिण से 01 कट्ठा पर) भूमि से संबंधित वाद संख्याः 537 / 2012 दायर किया गया जिसका चौहद्दी उत्तर– मतिन, दक्षिण–नया खेसरा संख्याः 7596 एवं कुदुस, पूरब–अपीलार्थी स्वयं एवं पश्चिम– रेस्पोण्डेन्ट की भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपील आवेदन के माध्यम से यह कथन करते है कि निम्न न्यायालय एवं इस न्यायालय में अपीलार्थी का वाद यह है कि प्रश्नगत भूमि मो० ईसराफिल के द्वारा अर्जित एवं स्वत्व में थी एवं वे इस भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार थे। प्रश्नगत भूमि पर वास्तविक दखल एवं स्वत्व के अनुसार हाल सर्वे फाईनल खतियान उक्त वर्णित मो० ईसराफिल के नाम से प्रकाशित हुआ। मो० ईसराफिल अपनी एक मात्र पुत्री बरैला खातुन को पीछे छोड़ स्वर्गवासी हो गये जिन्होनें प्रश्नगत भूमि सहित अपने पिता की संपूर्ण जायदाद की उत्तराधिकारी बनी एवं उक्त प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हुई। उक्त बरैला खातुन को पैसों की आवश्यकता आन पड़ी तथा उन्होनें प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने का निर्णय लिया तथा वर्त्तमान अपीलार्थी के पास भूमि की बिक्री का प्रस्ताव रखा एवं अपीलार्थी द्वारा खरीदगी हेतु सहमति व्यक्त किया गया। तदनुसार अपीलार्थी द्वारा कुल निर्धारित जर सम्मन का भुगतान कर दिया गया तथा उक्त बरैला खातुन

द्वारा निबंधित बिक्री दस्तावेज संख्याः 2961 दिनांकः 05.04.2008 के द्वारा प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के हाथ बिक्री कर दिया गया। बाद खरीदगी के अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर दखकार हुई एवं उन्होंने प्रश्नगत भूमि के पुरब दिशा में अवस्थित अपनी भूमि से खरीदगी भूमि को मिला लिया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि वर्ष 2008 के अगस्त माह में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, एव कटिहार जिलों में बाढ़ आई जिसमें काफी स्थानीय जान–माल की क्षति हूई। अतएव अपीलार्थी द्वारा अपने नाबालिक बच्चों की रक्षा हेतु वे कानपुर (उत्तर प्रदेश) जहॉ उनके पति निजी व्यवसाय करते हैं, चली गई। बाढ़ की विभिषिका समाप्त होने के उपरांत अपीलार्थी अपने गॉव लौटी तथा अंचल कार्यालय में प्रश्नगत भूमि के दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया। प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्वक दखल पाते हुए अंचल अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के नाम से दाखिल खारिज को स्वीकृत किया गया। तद्नुसार जमाबंदी संख्याः 1417 अपीलार्थी के नाम से कायम हुई तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त आधार पर मालगुजारी भुगतान कर रसीद प्राप्त किया जाता रहा है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि बाढ़ समाप्त होने के उपरांत एवं अपीलार्थी के अनुपस्थिति में रेस्पोण्डेन्ट बिना किसी वैधिक अधिकार, स्वत्व एवं दखल के रहते प्रश्नगत भूमि के 01 कट्ठा भूमि पर जबरन फूस का मकान बनाकर उसे बैठका के रूप में उपभोग करने लगे। जब अपीलार्थी कानपुर (उ०प्र०) से लौटी तथा अपनी भूमि पर फूस का मकान बना देखा एवं रेस्पोण्डेन्ट से पूछताछ की तो रेस्पोण्डेन्ट द्वारा करूण शब्दों में बाढ 2008 का संदर्भ देते हुए अपनी गलती मान ली गई तथा शीघ्र ही भूमि को खाली करने का वादा भी किया गया। रेस्पोण्डेन्ट की दयनीय स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी द्वारा कोई कानूनी कदम नहीं लिया गया। बहुत अवधि बीत जाने के उपरांत भी रेस्पोण्डेन्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि से मकान को नहीं हटाया गया तथा मनगढंत आधार पर इस हेतु और समय लिया जाता रहा। मजबूर होकर अपीलार्थी द्वारा माह अक्टूबर 2011 में एक पंचायत बुलाई गई उक्त पंचायत में रेस्पोण्डेन्ट द्वारा और 7 माह का समय लिया गया। 7 माह बीत जाने के उपरांत अपीलार्थी रेस्पोण्डेन्ट के पास गई और उन्हें दिनांकः 15.02.2012 को मकान हटाने के बारे में कहा। रेस्पोण्डेन्ट द्वारा क्रोधित होकर अपीलार्थी के साथ गाली गलौज किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट द्वारा निम्नन्यायालय के समक्ष दाखिल लिखित बहस में प्रश्नगत भूमि को अपनी पुस्तैनी भूमि बताते हुए दावा किया गया एवं उल्लेख किया गया कि खाता संख्याः 73 की भूमि उनके पिता के हिस्से की भूमि है एवं बिना किसी विधि सम्मत आधार के हाल सर्वे के प्रविष्टियों को नकार दिया गया। वही अपीलार्थी द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न न्यायालय में सभी कागजी प्रमाण दाखिल किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट के तरफ से दाखिल लिखित जवाब के पारा 13 में यह उल्लिखित किया गया है कि खाता संख्याः 73, खेसरा संख्याः 7596 को खरीदगी के द्वारा अर्जित किया गया है तथा उसी पारा में यह भी उल्लेख किया गया है कि खाता पुरानाः 73, खाता नयाः 182, खेसरा संख्याः 7596 की उक्त भूमि उनके पिता– मो० सलामत के द्वारा अर्जित संपत्ति है। वहीं माननीय निम्न न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश में यह निर्णय दिया गया है कि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि को बासगीत पर्चा के द्वारा अर्जित किया गया है जो आपस में परस्पर विरोधाभासी तथ्य हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपील आवेदन के माध्यम से यह कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट कभी भी विशेषाधिकारप्राप्त व्यक्ति (privileged person) नहीं थे इसलिए उन्हें बासगीत पर्चा निर्गत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अंतिम पारा में यह अंकित

किया गया है कि अपीलार्थी के केवाला दस्तावेज में यह स्पष्ट नही हो रहा है कि अपीलार्थी के vendor द्वारा प्रश्नगत भूमि को किस प्रकार अर्जित किया गया । निम्न न्यायालय का उक्त टिप्पणी observation पूर्णतः निराधार है क्योंकि बरैला खातुन अपीलार्थी के vender हैं प्रश्नगत भूमि के वास्तविक रैयत मो० ईसराफिल की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि माननीय निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रश नगत भूमि से बेदखली की अवधि का अभाव होना बतलाया गया है, वही अपीलार्थी का यह वाद था कि वर्ष 2008 के अगस्त माह में बाढ के कारण वे अपने गॉव से अपने पति के पास कानपुर (उ०प्र०) चली गई थी। बाढ़ समाप्त होने एवं अपीलार्थी के अनुपस्थिति में रेस्पोण्डेन्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि के 01 कट्ठा पर दखल कर लिया गया अतएव अपीलार्थी बेदखली की सटीक तिथि बताने में असमर्थ हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत् भूमि को इसके वास्तविक रैयत मो० ईसराफिल के एकमात्र उत्तराधिकारी से खरीदगी के द्वारा अर्जित किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा जमाबंदी संख्याः 1417 के माध्यम से बिहार सरकार को मालगुजारी का भुगतान किया जाता रहा है एवं भुगतान रसीद भी प्राप्त हैं पर माननीय निम्न न्यायाल द्वारा उपरोक्त कागजात पर कोई विचार नहीं किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय द्वारा अनुमंडल अमीन के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है जो कि पूर्णतया अनापेक्षित था। अमीन से कभी भी प्रतिवेदन की मांग नहीं की गई थी एवं अमीन द्वारा किसी भी प्रकार का स्थलीय जॉच नहीं किया गया तथा उक्त प्रतिवेदन को रेस्पोण्डेन्ट के दृश्टान्त पर ही आधारित है।

विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय द्वारा मो० ईलियास एवं छेदन भगत के शपथपत्र पर विचार किया गया हैं। मो० ईलियास रेस्पोण्डेन्ट के अपने मामा है एवं छेदन भगत रेस्पोण्डेन्ट के गहरे मित्र हैं अतएव दोनों के द्वारा गलत शपथपत्र दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि बी०पी०एच०टी० भूमि है अतएव निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपील खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/10/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

22/10/2013
आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा